

(राजस्थान पुलिस अधिनियम, 1988 के नियम 130 के अन्तर्गत)

कार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	17	185, 188, 190, 224, 230, 231, 234	9.1043	महानगर ड्रा मॉडल दस्ता - 1/7 राष्ट्रिय दस्ता - 1/7 राजस्थान मरहटा ड्रा मॉडल वॉक ड्राइंग MANDPUR	महानगर ड्रा मॉडल दस्ता - 1/7 राष्ट्रिय दस्ता - 1/7 राजस्थान ड्रा मॉडल वॉक ड्राइंग MANDPUR	127/2026
<p>राजस्थान पुलिस अधिनियम, 1988 के नियम 130 के अन्तर्गत</p> <p>राजस्थान पुलिस अधिनियम, 1988 के नियम 130 के अन्तर्गत</p> <p>राजस्थान पुलिस अधिनियम, 1988 के नियम 130 के अन्तर्गत</p>						

मुताबिक भिसल/जमावन्दी संधत के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्थान अधिनियम 1988 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मुख श्रवण योग्य है।

साथिक राजस्थान रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रत्यक्षी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार कार्रवाई में शुद्धि किया जाना उचित है।

पं०सका 211206 मू०सं० 211206 की रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण यन्दीक्षत साक्षिपत्रों के दस्तान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

पं०सका 211206 मू०सं० 211206 की रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। धाल जमावन्दी में अमल किया जावे।

दिनांक 2/4/2026 पं०सं० 211206  
 H.O. प्रत्यक्षी  
 Shriram  
 07/04/26

दिनांक 7/4/2026 मू०सं० 211206  
 Punit  
 7/4/2026 मू०सं० 211206

दिनांक 08/04/26  
 H.O. राजस्थान अधिकारी

उपखण्ड प्रविष्टि  
 उपखण्ड अधिकारी